राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.–3), छत्तीसगढ़ की दिनांक 10/03/2025 को संपन्न 591वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

——00——

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.–3), छत्तीसगढ़ की दिनांक 10/03/2025 को श्री जयसिंह म्हस्के, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री रमाशंकर मिश्रा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. डॉ. अजय विक्रम अहिरवार, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. श्री समीर स्वरूप, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: 589वीं बैठक दिनांक 07/03/2025 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.–3), छत्तीसगढ़ की 589वीं बैठक दिनांक 07/03/2025 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: परिवेश 1.0 पोर्टल से प्रकरणों (गौण/मुख्य खनिजों / अन्य परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों) के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स कड़मपाल आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री अमन अग्रवाल), ग्राम–कड़मपाल, तहसील–बचेली, जिला–दंतेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2986)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 457104 एवं 29/12/2023	
खदान का प्रकार	साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.35 हेक्टेयर एवं 26,985 टन प्रतिवर्ष	संलग्न है।

11.4.25

खसरा क्रमांक	815/2	संलग्न है।
भू–स्वामित्व	शासकीय भूमि	संलग्न है।
बैठक का विवरण	510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र दिनांक 15/03/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

समिति की 522वीं बैठक दिनांक 28/03/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/ अनुरोध पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/03/2023 के माध्यम से समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

(ब) समिति की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024:

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 को डॉ. बी.पी. नोन्हरे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05/07/2024 के माध्यम से एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ. बी.पी. नोन्हरे को पद से मुक्त किया जाकर विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को अवगत कराया गया। तदोपरात छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पत्र दिनांक 16/07/2024 के माध्यम से उक्त की सूचना सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर को दी गई। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 का कार्यवाही विवरण पद मुक्त करने की सूचना की अवधि तक अनुमोदन हेतु विचाराधीन था।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ई–मेल दिनांक 08/03/2025 के माध्यम से 591वीं बैठक दिनांक 10/03/2025 को एस.ई.ए.सी.–3, छत्तीसगढ़ के समक्ष पुनः प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 591वीं बैठक दिनांक 10/03/2025:

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी.–3, छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण
बैठक का विवरण	591वीं बैठक दिनांक 10/03/2025 एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ई–मेल दिनांक 08/03/2025 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि	श्री अमन अग्रवाल, प्रोपराईटर उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – साधारण पत्थर (गौण खनिज) खसरा क्रमांक – 816 क्षेत्रफल – 1.35 हेक्टेयर क्षमता – 26,985 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 07/12/2016 डी.ई.आई.ए.ए., जिला– दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 13/07/2040 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी	दिनांक 20/12/2023 2018–19 में 549.31 टन 2019–20 में 865.09 टन 2020–21 में 5,804.43 टन 2021–22 में निरंक 2022–23 में 16,132.11 टन

ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत कड़मपाल दिनांक 26 / 12 / 2023 उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 13 / 05 / 2016 (उत्पादन योजना की वैधता 10 वर्ष तक है)
500 मीटर	दिनांक 20 / 12 / 2023 1 खदान, रकबा 2.69 एकड़
200 मीटर	दिनांक 20 / 12 / 2023 प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं
लीज डीड	लीज धारक – श्री अमन अग्रवाल अवधि – 14 / 07 / 2010 से 13 / 07 / 2040
वन विभाग एन.ओ.सी.	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दन्तेवाड़ा वनमण्डल दन्तेवाड़ा द्वारा जारी दिनांक 05 / 02 / 2024 परिक्षेत्र अधिकारी बचेली के प्रतिवेदन अनुसार "आवेदित स्थल आरक्षित वन, संरक्षित वन, राजस्व वन या नारंगी क्षेत्र से 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है एवं प्रस्तावित क्षेत्र की सीमा से 05 कि.मी. के भीतर कोई अभ्यारण्य / राष्ट्रीय उद्यान / टाईगर रिजर्व स्थित नहीं है।" का उल्लेख है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी – पिनाबचेली 2 कि.मी. स्कूल – किरंदुल 4 कि.मी. अस्पताल – किरंदुल 4 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 25 कि.मी. राज्यमार्ग – 12 कि.मी. कोयर नदी 800 मीटर
पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	आर.क्यू.पी. के अनुसार 5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ जियोलॉजिकल 4,20,678 टन माईनेबल 2,56,548 टन प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर (हिल लॉक 12 मीटर एवं 6 मीटर सतही गहराई) बेंच की ऊंचाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर

	संभावित आयु 10 वर्ष क्रशर स्थापित एवं प्रस्तावित नहीं है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 23,264 टन षष्टम 23,264 टन द्वितीय 23,264 टन सप्तम 26,985 टन तृतीय 23,264 टन अष्टम 26,985 टन चतुर्थ 23,264 टन नवम 26,985 टन पंचम 23,264 टन दशम 26,985 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 3,412 वर्गमीटर उत्खनित – नहीं
ऊपरी मिट्टी/ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	पत्थरिला क्षेत्र होने के कारण ऊपरी मिट्टी अवस्थित नही है।
जल आपूर्ति	मात्रा – 4 घनमीटर स्त्रोत – ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से। ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 300 नग किया गया है। लीज के 7.5 मीटर क्षेत्र पत्थरिला क्षेत्र होने के कारण वृक्षारोपण किया जाना संभव नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 516, क्षेत्रफल 0.31 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है।
शपथ पत्र (Notarized undertaking)	लीज क्षेत्र के चारों (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र 7.5 मीटर में) कोई भी उत्खनन का कार्य नही किया गया है और भविष्य में भी कोई उत्खनन का कार्य नहीं किया जायेगा।, कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने, खदान से निकलने वाले ऊपर मिट्टी को लीज के प्रतिबंधित क्षेत्र 7.5 मीटर में रखा जायेगा एवं उसका उपयोग वृक्षारोपण हेतु किया जायेगा। खदान से निकलने वाली मिट्टी को कही भी विक्रय नही किये, लीज क्षेत्र के चारों ओर (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र 7.5 मीटर में) सघन वृक्षारोपण किया एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत रखने, मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् भू–प्रवेश अनुमति के पश्चात् खदान में बाउण्ड्री पिल्लर्स कराकर सीमांकन का कार्य किये जाने, हमारे विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई

11.4.25

	न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।, हमारे विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804 (अ) दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।, छत्तीसगढ़ आदर्श पुर्नवास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जायेगा।, खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जायेगा तथा इनका संरक्षण किया जायेगा। परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
श्रेणी	बी–2 आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 2.438 हेक्टेयर है।

1. समिति द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्ष 2023–24 में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. पूर्व में जिला स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्रमांक 1036/डी.आई.ए.ए./ई.सी./2016 दंतेवाड़ा दिनांक 07/12/2016 में खसरा क्रमांक 816 का उल्लेख है। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दंतेवाड़ा (छ.ग.) के पारित आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र. /2/अ–6(अ)/2013–2014 दिनांक 26/05/2014 के अनुसार खसरा क्रमांक 816 के बंदोबस्त त्रुटि को दुरूस्त कर खसरा क्रमांक 815/2 करते हुए गौण खनिज के उत्खनन पट्टे की अवधि विस्तार करने हेतु अनुपूरक पट्टाविलेख का अनुबंध दिनांक 03/03/2017 को किया गया है।
3. समिति द्वारा के.एम.एल. के माध्यम से देखने पर पाया कि क्रशर का कुछ भाग लीज क्षेत्र के भीतर स्थापित किया गया है। उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्रशर को लीज क्षेत्र के बाहर स्थापित किये जाने तथा क्रशर का संचालित छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जल एवं वायु सम्मति लिये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
4. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh

				Rupees)
30.87	2%	0.61	Following activities at Nearby, Village-Kadampal	
			Plantation	6.301
			Total	6.301

सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम–कड़मपाल के शासकीय भूमि में वृक्षारोपण (नीम, करंज, अर्जुन, कदम आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 7,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 60,600 रूपये, खाद के लिए राशि 500 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 72,000 रूपये, रख–रखाव आदि के लिए राशि 36,000 रूपये तथा अन्य खर्च के लिए राशि 15,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,91,100 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,39,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत कड़मपाल के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 534, क्षेत्रफल 2.52 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को लीज क्षेत्र का ड्रोन विडियो (Drone video) में प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी जल एवं वायु स्थापना/संचालन सम्मति की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स दुलना लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती अनिता जैन), ग्राम–दुलना, तहसील–अभनपुर, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2497)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 429186/ 2023, दिनांक 01/06/2023 द्वारा टी.ओ.आर. आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–दुलना, तहसील–अभनपुर, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 432/3, 433/2, 673 एवं 674, कुल क्षेत्रफल–2.092 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–28,500 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 10/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुधांशु चौधरी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

11-4-25

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 432/3, 433/2, 673 एवं 674, कुल क्षेत्रफल-2.092 हेक्टेयर, क्षमता-10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-रायपुर द्वारा दिनांक 16/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 18/12/2022 तक की अवधि हेतु वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 18/12/2023 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-रायपुर, के ज्ञापन क्रमांक 2321/खनिज/चू.प./न.क्र.-एबी12/2023 रायपुर, दिनांक 04/08/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2018-19	4,000
2019-20	10,000
2020-21	10,000
2021-22	10,000
2022-23	10,000

समिति का मत है कि दिनांक 01/04/2023 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन एवं क्रशर स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत दुलना का दिनांक 12/06/2002 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड ऑफ क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.प्र.) संचालनालय भौमिकी तथा

खनिकर्म, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर के पृ. ज्ञापन क्र. 2374/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.04/2019(3) नवा रायपुर, दिनांक 05/04/2023 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1050/कोपा/उ.प./चूना.पत्थ./2023–24 रायपुर, दिनांक 26/05/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 6.887 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1050/कोपा/उ.प./चूना.पत्थ./2023–24 रायपुर, दिनांक 26/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। 200 मीटर के भीतर ग्राम दुलना की आबादी स्थित है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्रीमती अनिता जैन के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 19/12/2022 से 18/12/2032 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज अवधि 19/12/2002 से 18/12/2032 तक है। समिति का मत है कि दिनांक 19/12/2002 से दिनांक 18/12/2022 तक की अवधि का लीज डीड की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री श्रेयांश जैन के नाम पर है। उत्खनन हेतु भू–स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–दुलना 29 मीटर, स्कूल ग्राम–दुलना 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 5 कि.मी. दूर है। महानदी 409 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि. मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 8,63,625 टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,50,000 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,100 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की

11.4.25

ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 1,000 वर्गमीटर है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	30,000
द्वितीय	30,000
तृतीय	30,000
चतुर्थ	30,000
पंचम	30,000

समिति द्वारा नोट किया गया कि प्रस्तुत मॉडिफाईड क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन क्षमता, ऑनलाईन के माध्यम से किये गये आवेदन में उत्खनन क्षमता 28,500 टन प्रतिवर्ष से अधिक है। समिति का मत है कि ऑनलाईन के माध्यम से किये गये आवेदन में उत्खनन क्षमता अनुसार रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 400 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 5,100 वर्गमीटर है, जिसमें से 2,630 वर्गमीटर क्षेत्र 10 मीटर की गहराई तक 670 वर्गमीटर क्षेत्र 13 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वॉरी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–रायपुर, के ज्ञापन क्रमांक 114/खनिज/चू.पत्थ./अनु.मा.प्ला./2022 रायपुर, दिनांक 19/01/2023 द्वारा जारी पत्र अनुसार परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन किये जाने हेतु अर्थदण्ड राशि रूपये 1,05,000/– लगाया गया था, जिसको परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 13/01/2023 द्वारा अर्थदण्ड राशि रूपये 1,05,000/– खनिज विभाग में जमा किया जाकर रसीद की प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि उत्खनित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनःभराव प्लान (Restoration plan) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुत मॉडिफाईड क्वॉरी प्लान अनुसार खदान से ग्राम दुलना की दूरी 29 मीटर का उल्लेख है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की सीमा से ग्राम दुलना की न्यूनतम दूरी 50 मीटर होनी आवश्यक है। अतः ग्राम दुलना से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी तक गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़ते हुए रिजर्व की गणना कर संशोधित क्वॉरी प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. ग्राम दुलना से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी तक गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़ते हुए रिजर्व की गणना कर एवं ऑनलाईन के माध्यम से किये गये आवेदन में उत्खनन क्षमता अनुसार रिजर्व की गणना कर संशोधित क्वॉरी प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्खनित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनःभराव प्लान (Restoration plan) प्रस्तुत किया जाए।
3. 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया जाए।
4. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. दिनांक 01/04/2023 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
6. दिनांक 19/12/2002 से दिनांक 18/12/2022 तक की अवधि का लीज डीड की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
7. लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग, कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
8. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/10/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 13/03/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024:

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 को डॉ. बी.पी. नोन्हरे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05/07/2024 के माध्यम से एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ. बी.पी. नोन्हरे को पद से मुक्त किया जाकर विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को अवगत कराया गया। तदोपरांत छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पत्र दिनांक 16/07/2024 के माध्यम से उक्त की सूचना सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर को दी गई। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 का कार्यवाही विवरण पद मुक्त करने की सूचना की अवधि तक अनुमोदन विचाराधीन था।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ई-मेल दिनांक 08/03/2025 के माध्यम से 591वीं बैठक दिनांक 10/03/2025 को एस.ई.ए.सी.-3, छत्तीसगढ़ के समक्ष पुनः प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/10/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 13/03/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 591वीं बैठक दिनांक 10/03/2025:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 13/03/2024 को प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज के आधार पर समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. रिवाईज्ड मॉडिफिकेशन ऑफ क्वॉरी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 41/खनि.लि. 1/न.क./ मा.प्ला.अनुमो./23-24 रायपुर, दिनांक 23/02/2024 द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 12,10,095 टन, माईनेबल रिजर्व 8,03,070 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 7,62,916 टन है। ग्राम दुलना से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी हेतु 1,300 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।
2. उत्खनित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनःभराव प्लान (Restoration plan) प्रस्तुत किया गया है।
3. 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। समिति का मत है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं

11.4.25

जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 के अनुसार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से तीन माह के भीतर प्राप्त नही होने की दशा में पूर्व मे जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-रायपुर, के ज्ञापन क्रमांक 985/खनिज/गू.प./2023-24 रायपुर, दिनांक 07/03/2024 द्वारा दिनांक 01/04/2023 से दिनांक 30/09/2023 तक क्षमता 8,000 टन उत्खनन किया गया है।
6. दिनांक 19/12/2002 से दिनांक 18/12/2022 तक की अवधि का लीज डीड की प्रति प्रस्तुत किया गया है।
7. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/व.त.अ./रा/646 रायपुर, दिनांक 22/02/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 19 कि.मी. की दूरी पर है।
8. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध मे तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.

11.4.25

ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Chhattisgarh Environment Conservation Board.

iii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iv. Project proponent shall submit the drone video of Mine Lease area.

v. Project Proponent shall submit the copy of CTE/CTO (if any) issued by CECB for applied case.

vi. Project proponent shall submit the details of pollution control arrangement in crusher.

vii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

viii. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

ix. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

x. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced with chain link.

xi. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

xii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xiii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiv. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme

Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xvii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area submit restoration plan and do remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xix. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) & complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xx. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xxi. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स घोटियावाही आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री यशवंत सिन्हा), ग्राम–घोटियावाही, तहसील–नरहरपुर, जिला–कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2430)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 429597/ 2023, दिनांक 17/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–घोटियावाही, तहसील–नरहरपुर, जिला–कांकेर स्थित खसरा क्रमांक 734, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,00,005 टन प्रतिवर्ष है।

वर्तमान में माननीय एनजीटी, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. क्रमांक 142/2022 में पारित आदेश दिनांक 07/12/2022 द्वारा आदेशित किया गया है कि "mining lease in which environmental clearance was granted by DEIAA in view of amendment notification dated 15/01/2016 are still continuing even after passing of order dated

11.4.25

13/09/2018 by this Tribunal in Satendra Pandey (supra) and issuance of OM dated 12/12/2018 by MoEF&CC without any re-appraisal by SEIAA and appropriate remedial action on the basis of such re-appraisal. All such mining leases in which environmental clearance was granted by DEIAA need to be brought in consonance with the directions given by Hon'ble Supreme Court in Deepak Kumar (supra) and order dated 13/09/2018 by this Tribunal in Satendra Pandey (supra) by re-appraisal granted environmental clearance by SEIAA. MoEF&CC is, therefore, directed to take appropriate steps for compliance in this regard by issuance of requisite directions in exercise of the statutory powers under the Environment (Protection) Act, 1986".

उपरोक्त के पालनार्थ भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 अनुसार "The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 474वीं बैठक दिनांक 13/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री यशवंत सिन्हा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

    i. पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 734, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर, क्षमता– 1,00,005 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा दिनांक 07/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति उत्खनिपट्टा अवधि तक (विस्तारित अवधि तक) की अवधि हेतु जारी की गई। तत्पश्चात् जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला– उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा दिनांक 22/05/2018 को उत्खनन क्षमता–45,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,00,005 टन प्रतिवर्ष करते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया।

    ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं की गई है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/खनिज/ख.लि./उ.प./2023–24 कांकेर, दिनांक 16/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2018–19	34,587.60
2019–20	25,387.20
2020–21	35,948.80
2021–22	45,592.00
2022–23	28,864.00

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 के अनुक्रम में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन पृ. क्र. 433/एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22/05/2023 के द्वारा संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को डी.ई.आई.ए.ए. द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की नस्तियों को एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया गया है। डी.ई.आई.ए.ए. द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किये गये आवेदित खदान से संबंधित नस्ती इस कार्यालय में आज दिनांक तक अप्राप्त है। अतः कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर–बस्तर–कांकेर को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किये गये आवेदित खदान से संबंधित नस्ती को इस कार्यालय में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाना आवश्यक है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत घोटियावाही का दिनांक 10/03/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 980/खनिज/2017–18 दंतेवाड़ा, दिनांक 16/02/2018 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 955/खनिज/ख.लि./उ.प./2023–24 कांकेर, दिनांक 16/05/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 957/खनिज/ख.लि./उ.प./2023–24 कांकेर, दिनांक 16/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

11.4.23

7. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री यशवंत सिन्हा के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 17/02/2011 से 16/02/2021 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 17/02/2021 से 16/02/2041 तक के लिए विस्तारित की गई।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) वन मण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./भू-प्रबंध/2010/3092 कांकेर, दिनांक 13/05/2010 द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार आवेदित क्षेत्र के समीप ऑरेंज एरिया घोटियावाही, खसरा क्रमांक 642 रकबा 13.49 हेक्टेयर 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। कार्यालय वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) वन मण्डल, कांकेर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक आकाशीय दूरी सहित अनापत्ति प्रमाण पत्र वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-घोटियावाही 2.5 कि.मी., स्कूल ग्राम-घोटियावाही 2.5 कि.मी. एवं अस्पताल -घोटियावाही 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 29 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.5 कि.मी. दूर है। महानदी 4 कि.मी. एवं दूधवा बांध 320 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 17,22,720 टन एवं माईनेबल रिजर्व 8,80,223 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 8,36,211 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,774 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 5,690 घनमीटर थी। वर्तमान में लीज क्षेत्र के भीतर ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 9 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	99,735	षष्टम	99,990
द्वितीय	99,735	सप्तम	1,00,005
तृतीय	98,880	अष्टम	99,990
चतुर्थ	98,880	नवम	80,715
पंचम	1,00,005		

11.4.25

13. ओव्हर बर्डन की मात्रा 44,011.15 टन है, जिसमें से आवश्यकतानुसार ओव्हर बर्डन का उपयोग पहुँच मार्ग के रख–रखाव में किया जाएगा एवं शेष ओव्हर बर्डन को विक्रय किया जाएगा। समिति का मत है कि उक्त ओव्हर बर्डन को नियामानुसार खनिज विभाग एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से अनुमति उपरांत ही विक्रय किये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

15. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 800 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 56,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,40,700 रूपये, खाद के लिए राशि 8,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रूपये, रख–रखाव आदि के लिए राशि 61,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 4,85,700 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 6,49,600 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नही किया गया है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
36	2%	0.72	Following activities at, Government Primary School at, **Village-Ghotiyawahi**	
			Plantation	1.34
			Total	**1.34**

18. सी.ई.आर. के तहत् स्कूल परिसर में वृक्षारोपण (नीम, आम, जामुन, कदंब, पीपल आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 29,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 35,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 99,600 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

19. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

20. खदान में सुरक्षा के दृष्टि से कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11-4-25

21. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टि से लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित क्षेत्र एवं पहुंच मार्ग के किनारे यथासंभव वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर-बस्तर-कांकेर को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किये गये आवेदित खदान से संबंधित नस्ती को इस कार्यालय में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
2. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् जानकारी एवं शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
3. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक आकाशीय दूरी सहित अनापत्ति प्रमाण पत्र डी.एफ.ओ., वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. खदान से जनित ओव्हर बर्डन को नियमानुसार खनिज विभाग एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से अनुमति प्राप्त किये जाने के पश्चात् विक्रय किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11-4-25

7. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 474वीं बैठक दिनांक 13/07/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 12/09/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 512वीं बैठक दिनांक 12/02/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् जानकारी एवं शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत प्राप्त किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर में आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।
3. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक आकाशीय दूरी सहित अनापत्ति प्रमाण पत्र डी.एफ.ओ., वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में प्रस्तुत कार्यालय वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) वन मण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि. /भू–प्रबंध/2010/3092 कांकेर, दिनांक 13/05/2010 द्वारा कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर को प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदन में निम्न तथ्य का उल्लेख है:–
   - "आवेदित क्षेत्र आरक्षित/संरक्षित तथा सीमांकित वन के अंतर्गत स्थित नहीं है।
   - आवेदित क्षेत्र के समीप ऑरेंज एरिया घोटियावाही, खसरा क्रमांक 642 रकबा 13.49 हेक्टेयर 200 मीटर की दूरी पर स्थित है।
   - आवेदित क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के 30 नग वृक्ष है।

22
11-4-25

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित क्षेत्र में बहुमूल्य प्रजाति के अधिक वृक्ष स्थित है। अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम निर्णय 12.12.96 का किसी प्रकार से उल्लंघन न हो इसका विशेष देते हुये पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही हेतु अपने स्तर से निर्णय लेने का कष्ट करें।"

उक्त के संबंध में समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक आकाशीय दूरी सहित अनापत्ति प्रमाण पत्र डी.एफ.ओ., वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. खदान से जनित ओवर बर्डन को नियमानुसार खनिज विभाग एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से अनुमति प्राप्त किये जाने के पश्चात् विक्रय किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
6. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक आकाशीय दूरी सहित अनापत्ति प्रमाण पत्र डी.एफ.ओ., वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

(ब) समिति की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024:

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 को डॉ. बी.पी. नोन्हरे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05/07/2024 के माध्यम से एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ. बी.पी. नोन्हरे को पद से मुक्त किया जाकर विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को अवगत कराया गया। तदोपरांत छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पत्र दिनांक

16/07/2024 के माध्यम से उक्त की सूचना सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर को दी गई। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 का कार्यवाही विवरण पद मुक्त करने की सूचना की अवधि तक अनुमोदन विचाराधीन था।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ई-मेल दिनांक 08/03/2025 के माध्यम से 591वीं बैठक दिनांक 10/03/2025 को एस.ई.ए.सी.-3, छत्तीसगढ़ के समक्ष पुनः प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/04/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/05/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 591वीं बैठक दिनांक 10/03/2025:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री यशवंत सिन्हा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/05/2024 को प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज के आधार पर समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व-प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1413, दिनांक 13/09/2023 द्वारा "Clarification Requested on Requirement of Certified Compliance Report (CCR) in Non-Coal Mining Proposals without Expansion." के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को मार्गदर्शन के लिए पत्र प्रेषित किया गया था, इस परिपेक्ष्य में मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। मार्गदर्शन प्राप्त होने पर तदानुसार कार्यवाही की जाएगी।

   साथ ही यह अनुशंसा भविष्य में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1413, दिनांक 13/09/2023 के परिपेक्ष्य में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन प्राप्त होने पर उसी अनुसार प्रभावित होगी।

2. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2023/8024 कांकेर, दिनांक 28/11/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में "आवेदित क्षेत्र के समीप ऑरेंज एरिया घोटियावाही, खसरा क्रमांक 642 में रकबा 13.49 हेक्टेयर 200 मीटर की दूरी पर स्थित है" का उल्लेख है।

   कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2024/783 कांकेर, दिनांक 05/02/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में "आवेदित क्षेत्र से वनक्षेत्र की आकाशीय दूरी (Air Distance) दूरी 390 मीटर है।" का उल्लेख है।

   अतः उपरोक्त प्रमाण पत्रों के भिन्नता के संबंध में स्पष्टीकरण कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से मंगाया जाना आवश्यक है। साथ ही कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से लीज सीमा से अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवविविधता क्षेत्र से वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये प्रमाण पत्र मंगाया जाना आवश्यक है।

3. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,774 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 8.5 मीटर क्षेत्र उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वॉरी

प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पाया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के उत्खनित क्षेत्र के पुनःभराव किये जाने बाबत् रेस्टोरेशन प्लान (Restoration Plan) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. समिति द्वारा के.एम.एल. अवलोकन करने पर पाया गया है कि लीज क्षेत्र सीमा के बाहर उत्खनन कार्य किया गया है। अतः इस संबंध में संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर उत्खनन किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर उत्खनन किया गया हो, तो कितना मात्रा उत्खनन (टन में) किया गया है, इस संबंध में जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2023/8024 कांकेर, दिनांक 28/11/2023 एवं ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2024/783 कांकेर, दिनांक 05/02/2024 द्वारा आवेदित क्षेत्र से वनक्षेत्र की आकाशीय दूरी की भिन्नता के संबंध में स्पष्टीकरण एवं लीज सीमा से अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवविविधता क्षेत्र से वास्तविक दूरी के संबंध में कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, कांकेर को पत्र लेख किया जाए।
2. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2023/8024 कांकेर, दिनांक 28/11/2023 एवं ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2024/783 कांकेर, दिनांक 05/02/2024 द्वारा आवेदित क्षेत्र से वनक्षेत्र की आकाशीय दूरी की भिन्नता के संबंध में स्पष्टीकरण कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, कांकेर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही लीज सीमा से अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवविविधता क्षेत्र से वास्तविक दूरी के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के उत्खनित क्षेत्र के पुनःभराव किये जाने बाबत् रेस्टोरेशन प्लान (Restoration Plan) प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज क्षेत्र का ड्रोन विडियो (Drone video) प्रस्तुत किया जाए।
5. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी जल एवं वायु स्थापना/संचालन सम्मति की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुधावा डेम से माईन लीज की बाउण्ड्री की दूरी के संबंध में जल संसाधन विभाग से जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही खदान संचालन से बांध के संरक्षण से संबंध में जल संसाधन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. समिति द्वारा के.एम.एल. अवलोकन करने पर पाया गया है कि लीज क्षेत्र सीमा के बाहर उत्खनन कार्य किया गया है। अतः इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर उत्खनन किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी मंगाये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए। साथ ही यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर उत्खनन किया गया हो, तो कितना

मात्रा उत्खनन (टन में) किया गया है, इस संबंध में भी जानकारी मंगाये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

8. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

9. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। कार्यालय वनमण्डलाधिकारी को तदानुसार पत्र लेख किया जाए एवं संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. मेसर्स धनसुली लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती सतिन्दर कौर अरोरा), ग्राम–धनसुली, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2178)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 402118/2022, दिनांक 04/11/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–धनसुली, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 677/1, कुल क्षेत्रफल–1. 639 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–40,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 441वीं बैठक दिनांक 15/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनप्रीत सिंह अरोरा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धनसुली का दिनांक 12/04/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ स्कीम ऑफ माईनिंग फॉर फस्ट फाईव ईयर एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 4183/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.04/2019(1) नवा रायपुर, दिनांक 16/08/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1623/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 15/09/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 92 खदानें, क्षेत्रफल 184.311 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1623/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 15/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल एवं रेल लाईन आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। नाला 200 मीटर की दूरी पर है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि एवं एल.ओ.आई. श्रीमती सतिन्दर कौर अरोरा के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 505/ख.लि./तीन–6/उ.प./2022 रायपुर, दिनांक 25/05/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु रायपुर वनमण्डल में दिनांक 05/09/2022 को आवेदन किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–धनसुली 500 मीटर, स्कुल ग्राम–नरदहा 1.70 कि.मी. एवं अस्पताल रायपुर विधानसभा रोड 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.9 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 4.25 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि. मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 7,83,275 टन, माईनेबल रिजर्व 2,94,543 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,696.62 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,502.8 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 12.27 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण

हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	15,000
द्वितीय	20,000
तृतीय	20,000
चतुर्थ	25,000
पंचम	40,000

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 465 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. जारी होने से पूर्व ही लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,696.62 वर्गमीटर क्षेत्र में से 1,763.28 वर्गमीटर क्षेत्र 19 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वॉरी प्लान में किया गया है। समिति का मत है कि प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developd within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश मे मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1623 / ख.लि. / तीन–6 / 2022 रायपुर, दिनांक 15 / 09 / 2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 92 खदानें, क्षेत्रफल 184.311 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–धनसुली) का रकबा 1.639 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–धनसुली) को मिलाकर कुल रकबा 185.95 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत / संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।
3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स / एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–
   i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
   ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
   iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
   iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
   v. Project proponent shall submit the NOC from forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent shall submit NOC for usage of water from competent authority.

viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

ix. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xiii. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xiv. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xvii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

11-4-25

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 08/02/2023 को संपन्न 139वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि उपरोक्त कार्यवाही विवरण में पूर्व से ही लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,696.62 वर्गमीटर क्षेत्र में से 1,763.28 वर्गमीटर क्षेत्र 19 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वॉरी प्लान में किया गया है। कार्यवाही विवरण अनुसार प्रस्तावित खदान नवीन खदान है। अतः प्राधिकरण का मत है कि चूंकि यह खदान पूर्व से ही 19 मीटर की गहराई तक उत्खनित है एवं एल.ओ.आई. किस आधार पर जारी की गई है तथा उक्त उत्खनन किनके द्वारा किया गया है, उसके विरूद्ध कार्यवाही की गई है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से जानकारी/दस्तावेज मंगाया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ब) समिति की 455वीं बैठक दिनांक 21/03/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। समिति द्वारा लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किये जाने हेतु पूर्व में समिति द्वारा अनुशंसित निर्णय के बिन्दु क्रमांक 2 एवं 3 में उल्लेख किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से प्राधिकरण द्वारा उठाए गए मुद्दो के संबंध में संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को अवगत कराते हुए उचित कार्यवाही किये जाने बाबत् पत्र लेख किये जाने का निर्णय लिया गया।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/05/2023 के परिपेक्ष्य में उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर द्वारा दिनांक 21/05/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024:

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 को डॉ. बी.पी. नोन्हरे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05/07/2024 के माध्यम से एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ. बी.पी. नोन्हरे को पद से मुक्त किया जाकर विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को अवगत कराया गया। तदोपरांत छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पत्र दिनांक 16/07/2024 के माध्यम से उक्त की सूचना सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर को दी गई। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 का कार्यवाही विवरण पद मुक्त करने की सूचना की अवधि तक अनुमोदन विचाराधीन था।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ई–मेल दिनांक 08/03/2025 के माध्यम से 591वीं बैठक दिनांक 10/03/2025 को एस.ई.ए.सी.–3, छत्तीसगढ़ के समक्ष पुनः प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/05/2023 के परिपेक्ष्य में उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर द्वारा दिनांक 21/05/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(द) समिति की 591वीं बैठक दिनांक 10/03/2025:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अरविंद कुमार बंसल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला–रायपुर दिनांक 21/05/2024 को प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज के आधार पर समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1497/ख. लि./न.क्र./2024 रायपुर, दिनांक 14/05/2024 द्वारा जारी पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्न है:–

   "आशय पत्र जारी क्षेत्र में 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया गया है। अवैध उत्खनन के संबंध में श्री विजय कुमार पटेल द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि आशय पत्र जारी क्षेत्र में पूर्व में उत्खनिपट्टा स्वीकृत था, जिसमें पूर्व पट्टेदार श्री विजय कुमार पटेल द्वारा खदान समर्पण किया गया है। पूर्व पट्टेदार द्वारा पूर्व स्वीकृत क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र वर्तमान में आशय पत्र जारी क्षेत्र में भी उत्खनन कार्य भूलवश किया गया है। पूर्व पट्टेदार द्वारा आशय पत्र जारी क्षेत्र में अवैध खनन में लगभग 450 टन चूना पत्थर खनन किये जाने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत कर अवैध उत्खनन का कार्य करना स्वीकार किये जाने पर अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर रूपये 1,69,000/– चा. क्र. 66120424001064 दिनांक 19.04. 2024 द्वारा अर्थदण्ड राशि जमा कराया गया है। श्रीमती सतिन्दर कौर अरोरा द्वारा आशय पत्र जारी क्षेत्र के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। पूर्व पट्टेदार श्री विजय कुमार पटेल एवं श्रीमती सतिन्दर कौर अरोरा, दोनों का शपथ पत्र के साथ चालान तथा खनि निरीक्षक का प्रतिवेदन प्रस्तुत है।"

2. लीज क्षेत्र के सीमा बिन्दु क्रमांक BP–1 से BP–2, BP–3, से BP–7, एवं BP–1 से BP–6 तक 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा रेखा पर 2 मीटर के अंतराल पर 3 लाइन में पौधारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

3. लीज क्षेत्र के सीमा बिन्दु क्रमांक BP–2 से BP–3 के 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा रेखा के खुदे हुए भाग पर रेस्टोरेशन योजना को शामिल करते हुये 2 मीटर के अंतराल पर 3 लाइन पर पौधारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. लीज क्षेत्र के सीमा बिन्दु क्रमांक BP–6 से BP–7 तक के 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा रेखा के लिये, खदान के दक्षिण भाग में खदान में समीपस्थ क्षेत्र के लिये

प्रतिपूरक पौधारोपण योजना प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से लीज सीमा से निकटतम वनक्षेत्र, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवविविधता क्षेत्र से वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. पूर्व से ही लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,696.62 वर्गमीटर क्षेत्र में से 1,763.28 वर्गमीटर क्षेत्र 19 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। समिति द्वारा नोट किया गया कि लीज क्षेत्र के बाहर भी उत्खनन कार्य किया गया है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवैध उत्खनन का कार्य करना स्वीकार किये जाने पर अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर रूपये 1,69,000/– चा. क्र. 66120424001064 दिनांक 19.04.2024 को जमा किया गया है, जमा अर्थदण्ड राशि 7.5 मीटर की सीमा पट्टी एवं लीज क्षेत्र के बाहर उत्खनन कार्य के लिए ही जमा किया गया है अथवा नहीं? यदि अर्थदण्ड राशि 7.5 मीटर की सीमा पट्टी एवं लीज क्षेत्र के बाहर उत्खनन कार्य दोनों के लिए जमा किया गया है तो कितनी–कितनी अर्थदण्ड राशि का भुगतान किया गया है, उसका विवरण कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से मंगाया जाना आवश्यक है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के उत्खनित क्षेत्र में जिन क्षेत्र का पुनःभराव किया जाना संभव है उनके लिये रेस्टोरेशन प्लान (Restoration Plan) एवं जिन क्षेत्र में पुनःभराव किया जाना संभव नहीं है, उनकी क्षतिपूर्ति के लिए खदान के समीपस्थ क्षेत्र में वृक्षारोपण का प्रस्ताव मंगाया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** पूर्व मे समिति की 441वी बैठक दिनांक 15/12/2022 में टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किये जाने की अनुशंसा की गई थी एवं निम्न अतिरिक्त शर्त के अधीन पुनः अनुशंसा की जाती है:–

i. Project proponent shall submit the copy of LOI extension & incorporate the document in the EIA report.

ii. Project Proponent shall submit letter from the concerned DFO regarding the distance from nearest National Park, Wildlife Sanctuaries and declared Biodiversity areas from the lease area.

iii. Project proponent shall submit the drone video of Mine Lease area.

iv. Project Proponent shall submit the copy of CTE/CTO (if any) issued by CECB for applied case.

v. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area submit restoration plan and do remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

vi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area submit restoration plan where it is possible to restore and do remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone. Project proponent shall submit compensatory plantation of excavated 7.5 meter area for which restoration is not possible.

vii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of restoration plan & the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

viii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of plantation & maintenance for 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

समिति की 441वीं बैठक दिनांक 15/12/2022 में अनुशंसित शर्तें यथावत् रहेगी।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स अरविंद कुमार बंसल अर्थ क्ले ब्रिक क्वारी (प्रो.– श्री अरविंद बंसल), ग्राम–परसदा, तहसील–अभनपुर, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2747ए)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 451428 एवं 06/11/2023	
खदान का प्रकार	मिट्टी (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.042 हेक्टेयर एवं 645.16 घनमीटर प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	604/5	संलग्न है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/01/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 506वीं बैठक दिनांक 09/01/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 09/01/2024 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/03/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 518वीं बैठक दिनांक 11/03/2024:

भू–स्वामित्व	निजी भूमि भूमि आवेदक के नाम पर है।	
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री अरविंद बंसल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – मिट्टी (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक – 604/5 क्षेत्रफल – 4.80 एकड़ क्षमता – 800 टन प्रतिवर्ष (8,00,000 नग) दिनांक – 09/09/2016	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–रायपुर पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 23/05/2034 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण – 550 नग पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधो में

		संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन	दिनांक 22/02/2024 वर्ष 2017–18 में 1,600 घनमीटर वर्ष 2018–19 में 1,600 घनमीटर वर्ष 2019–20 में 1,600 घनमीटर वर्ष 2020–21 में 1,600 घनमीटर वर्ष 2021–22 में 1,200 घनमीटर वर्ष 2022–23 में 1,300 घनमीटर	समिति द्वारा नोट गया कि खनिज विभाग द्वारा जारी उत्पादन आंकड़े की जानकारी में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से अधिक का उत्पादन प्रतिपादित हो रहा है। अतः इस संबंध में समिति का मत है कि खनिज विभाग से घनमीटर एवं टन में मिट्टी उत्खनन (बिना फ्लाई ऐश मिश्रण के) के उत्पादन आंकड़े की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत परसदा दिनांक 09/05/2014	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 11/07/2016	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 22/02/2024	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 22/02/2024	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। आवेदित क्षेत्र के 200 मीटर के भीतर खारून नदी स्थित है।
लीज डीड	लीज धारक – श्री अरविंद बंसल अवधि – दिनांक 24/05/2014 से 23/05/2034	संलग्न है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	वन मण्डलाधिकारी, रायपुर वन मण्डल रायपुर द्वारा जारी दिनांक 09/12/2003	आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी–परसदा कला 1.5 कि.मी. स्कूल–परसदा कला 1.5 कि.मी. अस्पताल–अभनपुर 17 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग–17 कि.मी. राज्यमार्ग–6.5 कि.मी.	खारून नदी–197 मीटर
पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।

खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मैनुअल जियोलॉजिकल 60,219 टन माईनेबल 34,379 टन **वर्तमान में रिजर्व्स–** जियोलॉजिकल 38,851 टन माईनेबल 26,277 टन प्रस्तावित गहराई 2 मीटर बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 1.5 मीटर संभावित आयु 30 वर्ष 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी का क्षेत्रफल 450 वर्गमीटर मिट्टी के साथ उपयोग हेतु फ्लाई ऐश का प्रतिशत – 50 प्रतिशत एक लाख ईंट निर्माण हेतु आवश्यक कोयला की मात्रा – 10 टन चिमनी भट्ठा – 800 वर्गमीटर चिमनी की ऊँचाई – 33 मीटर	वर्षवार उत्खनन प्रथम 387.08 घनमीटर द्वितीय 451.60 घनमीटर तृतीय 516.11 घनमीटर चतुर्थ 516.11 घनमीटर पंचम 580.63 घनमीटर षष्टम 645.15 घनमीटर सप्तम 645.15 घनमीटर अष्टम 645.15 घनमीटर नवम 645.15 घनमीटर दशम 645.16 घनमीटर
गैर माईनिंग	क्षेत्रफल – 1,000 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण – चिमनी भट्ठा एवं अन्य संरचना होने के कारण	माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ
जल आपूर्ति	मात्रा – 6 घनमीटर स्त्रोत – भू–जल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में वृक्षारोपण – 450 नग	लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत रोजगार, खनिज नियमों के तहत सीमांकन, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु, खदान कार्यालय से उत्पन्न घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट का निर्माण, कोयले का सुरक्षित रखने के लिए	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और

	शेड का निर्माण करने आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 4. विद्यमान चिमनी किल्न को 2 वर्ष के भीतर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 के परिपेक्ष्य में आवश्यक परिवर्तन कर जिग–जैग पद्धति का उपयोग करते हुये ईंट निर्माण किया जाएगा।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान का कुल क्षेत्रफल 1.942 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
61	2%	1.22	Following activities at Nearby, Govt. Middle school at, **Village- Khatti**	
			Plantation	1.34
			Total	**1.34**

2. सी.ई.आर. के तहत् स्कूल परिसर में वृक्षारोपण (नीम, आम, जामुन, कदंब आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 29,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 35,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 99,600 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
3. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

11.4.25

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः—

1. खनिज विभाग द्वारा जारी उत्पादन आंकड़े की जानकारी में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से अधिक का उत्पादन प्रतिपादित हो रहा है। अतः इस संबंध में खनिज विभाग से घनमीटर एवं टन में मिट्टी उत्खनन (बिना फ्लाई ऐश मिश्रण के) के उत्पादन आंकड़े की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (कम से कम 90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि लीज क्षेत्र की सीमा में 1 मीटर की पट्टी में चिमनी का कोई भाग न हो। इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज क्षेत्र की सीमा के चारों ओर चैन लिंक फेंसिंग की जाए। ताकि पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. फ्लाई ऐश के उचित भण्डारण हेतु टिन शेड का निर्माण करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. खदान में निर्मित कच्ची ईंटों को लीज क्षेत्र के भीतर सुखाने एवं लीज क्षेत्र के बाहर किसी भी प्रकार का खनन तथा ईंट निर्माण संबंधी कार्य नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देशों का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/08/2017 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

11-4-25

(ब) समिति की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024:

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 को डॉ. बी.पी. नोन्हरे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05/07/2024 के माध्यम से एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ. बी.पी. नोन्हरे को पद से मुक्त किया जाकर विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को अवगत कराया गया। तदोपरांत छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पत्र दिनांक 16/07/2024 के माध्यम से उक्त की सूचना सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर को दी गई। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 का कार्यवाही विवरण पद मुक्त करने की सूचना की अवधि तक अनुमोदन विचाराधीन था।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ई-मेल दिनांक 08/03/2025 के माध्यम से 591वीं बैठक दिनांक 10/03/2025 को एस.ई.ए.सी.-3, छत्तीसगढ़ के समक्ष पुनः प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/05/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 03/06/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 591वीं बैठक दिनांक 10/03/2025:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री यशवंत सिन्हा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 03/06/2024 को प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज के आधार पर समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 468/खनिज/मिट्टी/2023-24 रायपुर, दिनांक 22/02/2024 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उत्पादन आंकड़े की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	केवल मिट्टी उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	केवल मिट्टी उत्खनन (घनमीटर)
2017-18	1,600	2020-21	1,600
2018-19	1,600	2021-22	1,200
2019-20	1,600	2022-23	1,300

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1599/खनिज/मिट्टी/2024-25 रायपुर, दिनांक 28/05/2024 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उत्पादन आंकड़े की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (टन) मिट्टी + फ्लाई ऐश	उत्पादन (नग)	केवल मिट्टी उत्खनन (टन)
2017-18	800	8,00,000	400
2018-19	800	8,00,000	400
2019-20	800	8,00,000	400
2020-21	800	8,00,000	400

11.4.25

2021–22	600	6,00,000	300
2022–23	650	6,50,000	325

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनों प्रमाण पत्रों के मिट्टी उत्खनन के उत्पादन आंकड़ों में भिन्नता है। अतः समिति द्वारा नोट किया गया कि मिट्टी उत्खनन के उत्पादन आंकड़ों में भिन्नता के संबंध में स्पष्टीकरण मंगाते हुये उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर मंगाया जाना आवश्यक है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/व.ल.अ./रा/646 रायपुर, दिनांक 22/02/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 29 कि.मी. दूर होना बताया गया है। समिति द्वारा नोट किया गया कि जारी प्रमाण पत्र में लीज सीमा से निकटतम अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवविविधता क्षेत्र से वास्तविक दूरी का उल्लेख नहीं है।

   समिति का मत है कि कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से लीज सीमा से निकटतम वनक्षेत्र, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवविविधता क्षेत्र से वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. प्रस्तुतीकरण के दौरान के.एम.एल. फाईल के माध्यम से अवलोकन करने पर पाया गया कि फ्लाई ऐश लीज क्षेत्र के बाहर रखा गया है। समिति का मत है कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा मौका निरीक्षण कर जाँच प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने बाबत् पत्र लेख किया जाना आवश्यक है।

4. समिति द्वारा नोट किया गया कि लीज क्षेत्र के बाहर भी उत्खनन कार्य किया गया है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर की सीमा पट्टी के उत्खनित क्षेत्र का पुनःभराव कर रेस्टोरेशन प्लान (Restoration Plan) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

6. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 450 नग वृक्षारोपण किये जाने बाबत् प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 31,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,47,500 रूपये, खाद के लिए राशि 4,500 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रूपये एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 51,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 4,54,500 रूपये एवं आगामी 4 वर्ष तक राशि 6,38,400 रूपये प्रतिवर्ष हेतु व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि लीज क्षेत्र की सीमा में 1 मीटर की पट्टी में चिमनी का कोई भाग नहीं है।

7. लीज क्षेत्र की सीमा के चारों ओर चैन लिंक फेंसिंग की जाए ताकि पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11-4-25

8. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बावत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. भूमि आवेदक के नाम पर है। अतः भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा करने बावत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती।

10. फ्लाई ऐश के उचित भण्डारण हेतु टिन शेड का निर्माण करने बावत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. खदान में निर्मित कच्ची ईंटों को लीज क्षेत्र के भीतर सुखाने एवं लीज क्षेत्र के बाहर किसी भी प्रकार का खनन तथा ईंट निर्माण संबंधी कार्य नहीं किये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देशों का बिन्दुवार पालन किये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/08/2017 को writ petition (S) Civil No.114/2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. मिट्टी उत्खनन के उत्पादन आंकड़ों में भिन्नता के संबंध में स्पष्टीकरण मंगाते हुये उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रेषित किया जाए।

2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से लीज सीमा से निकटतम वनक्षेत्र, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवविविधता क्षेत्र से वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

3. फ्लाई ऐश लीज क्षेत्र के बाहर रखा गया है। समिति का मत है कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा मौका निरीक्षण कर जाँच प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने बाबत् पत्र लेख किया जाए।

4. लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर की सीमा पट्टी के उत्खनित क्षेत्र का पुनःभराव कर रेस्टोरेशन प्लान (Restoration Plan) प्रस्तुत किया जाए।

5. लीज क्षेत्र का ड्रोन विडियो (Drone video) प्रस्तुत किया जाए।

6. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी जल एवं वायु स्थापना/संचालन सम्मति की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

7. प्रतिबंधित 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने

11.4.25

हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एवं संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

6. **मेसर्स बालेंगा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मोहन सिंह कश्यप), ग्राम–बालेंगा, तहसील व जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2001)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 438124/2023, दिनांक 26/07/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बालेंगा, तहसील व जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 1142, 1139, 1141, 1140, 1128/1, 1138/1, 1138/2 एवं 1129, कुल क्षेत्रफल–1.96 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–50,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 489वीं बैठक दिनांक 26/09/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मोहन सिंह कश्यप, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बालेंगा का दिनांक 29/11/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ स्किम ऑफ माईनिंग फॉर फर्स्ट फाईव ईयर एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 485/खनिज/उत्ख.यो./2021–22 दंतेवाड़ा, दिनांक 31/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जगदलपुर, जिला–बस्तर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 345/खनिज/ख.लि. 3/16/2020–21/उ.प. जगदलपुर, दिनांक 22/05/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 2.832 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जगदलपुर, जिला–बस्तर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1014/खनिज/ ख.लि.4/16/2020–21/उ.प./2022 जगदलपुर, दिनांक 23/05/2022 द्वारा

11.4.25

जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, मंदिर, पुल, नदी, अस्पताल, स्कूल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. श्री मोहन सिंह कश्यप के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1369/खनिज/ख.लि.4/16/2020–21/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 14/06/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 3439/खनि 02/उ.प.–अनु.निष्पा./न.क्र. 50/2017(3) नवा रायपुर, दिनांक 22/06/2022 द्वारा एल.ओ.आई. में वैधता वृद्धि बाबत् पत्र जारी किया गया है, जिसकी अवधि 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 12/06/2023) हेतु वैध है। तदोपरांत एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 34/2023 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 09/06/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, यह निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 42(5) परन्तु के तहत् उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला बस्तर को प्रत्यावर्तित किया जाता है।"** होना बताया गया है।

7. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में लीज डीड जारी किया गया है। समिति का मत है कि पूर्व में आवेदित क्षेत्र में कब से कब तक खदान संचालित थी? इस संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 1142 श्री रूपसिंग व स्व. श्रीमती सुकी, खसरा क्रमांक 1138/2 श्री भक्तु व पदमा, खसरा क्रमांक 1129 श्री लैखन, खसरा क्रमांक 1139 तथा 1141 श्री श्रीनाथ, खसरा क्रमांक 1140 श्री लखेश्वर एवं खसरा क्रमांक 1128/1 व 1138/1 श्री बंधु, पार्वती, गिता, भूमिका एवं लेखिका के नाम पर है। उत्खनन हेतु भू–स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर के ज्ञापन क्र./क.त.अ./1660 जगदलपुर, दिनांक 12/04/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 1 कि.मी. दूर है।

11. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बालेंगा 500 मीटर, स्कूल बस्तर 8.5 कि.मी. एवं अस्पताल बस्तर 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 680 मीटर दूर है। मारकण्डी नदी 1.25 कि.मी. दूर स्थित है।

12. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि. मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण

11-4-25

नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

13. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 6,67,683 टन एवं माईनेबल रिजर्व 3,70,153 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,013.2 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जायेगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 14.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 8,160 घनमीटर है, जिसमें से 3,478 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा तथा शेष 4,682 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि (खसरा क्रमांक 1211) में संरक्षित कर भण्डारित किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 16.8 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जायेगा। लीज क्षेत्र में क्रशर प्रस्तावित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जायेगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	7,500
द्वितीय	12,500
तृतीय	17,500
चतुर्थ	25,000
पंचम	50,000

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,161 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 88,236 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,80,300 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 1,28,700 रूपये तथा रख–रखाव के लिए राशि 1,56,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 5,53,236 रूपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 9,42,744 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत के.एम.एल. फाईल से देखने पर लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुछ भाग में उत्खनन कार्य किया गया है। समिति का मत है कि उक्त उत्खनित क्षेत्र का समावेश कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र के पुनःभराव किये जाने बाबत् रैस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11.4.25

17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
53	2%	1.06	Following activities at, **Village- Balenga**	
			Pavitra Van Nirman	12.60
			Total	**12.60**

19. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, जामुन, अमलतास, कदम आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 500 नग पौधों के लिए राशि 38,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 42,000 रूपये, खाद के लिए राशि 3,750 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 2,56,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,39,750 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 9,21,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बालेंगा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1108; क्षेत्रफल 2.21 हेक्टेयर में से 0.2 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में आवेदित क्षेत्र में कब से कब तक खदान संचालित थी? इस संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के उत्खनित क्षेत्र को माईनिंग प्लान में समावेश कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

11.4.25

3. 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनित क्षेत्र के पुनभराव हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाए।

4. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

5. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

6. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

7. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नही है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

12. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

13. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 / 2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/12/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/03/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

11.4.25

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ई–मेल दिनांक 08/03/2025 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 591वीं बैठक दिनांक 10/03/2025:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मोहन सिंह कश्यप, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जगदलपुर, जिला–बस्तर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 81/खनिज/ख.लि.1/04/2022–23/उ.प. जगदलपुर, दिनांक 18/01/2024 अनुसार पूर्व में आवेदित क्षेत्र के खसरा क्रमांक 1142, रकबा 0.66 हेक्टेयर में श्रीमती संहिता नेताम के नाम पर उत्खननपट्टा दिनांक 21/05/2001 से 20/05/2011 जारी किया गया था।

2. 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के उत्खनित क्षेत्र को माईनिंग प्लान में समावेश कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पूर्व से उत्खनित है, जिसका उल्लेख क्वारी प्लान विथ स्किम ऑफ माईनिंग फॉर फस्ट फाईव ईयर एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, दिनांक 31/08/2021 द्वारा अनुमोदित किया गया है।

3. 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के पुनःभराव हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार खोदे गए हिस्से में भरी जाने वाली धूल की मात्रा 4,128.62 घनमीटर है, सुरक्षा अवरोध क्षेत्र को बनाए रखने के लिए अपशिष्ट ओवर बर्डन की आवश्यकता होगी और वृक्षारोपण कार्य के लिए अवरोध क्षेत्र मे फैलाने के लिए 860.13 घनमीटर मिट्टी की आवश्यकता होगी, जिसके ऊपर उत्खनित क्षेत्र में लगभग 175 पौधे लगाए जाएंगे। मिट्टी का उपयोग केवल 7.5 मीटर सुरक्षा अवरोध में केवल ऊपरी परत में 1.00 मीटर मोटाई तक वृक्षारोपण के लिए किया जाएगा, न कि पूरे भरने के काम के लिए। लीज क्षेत्र के बाहर मौजूद पुराने गड्ढों के लिए अवरोध में भरने की ढलान को नियमानुसार बनाए रखा जाएगा और मिट्टी के कटाव और ढलान की स्थिरता बनाए रखने के लिए सीडिंग के साथ कॉयर मैटिंग की जाएगी, जिनका कुल लागत लगभग 3,10,000 रूपये होगा।

   7.5 मीटर की सीमा पट्टी के पुनःभराव हेतु रेस्टोरेशन प्लान के उपरांत (पीपल, नीम, आम, बरगद आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 175 नग पौधों के लिए राशि 10,500 रूपये, खाद के लिए राशि 5,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 20,000 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 14,500 रूपये हेतु व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund

11.4.25

		Rupees)		Allocation (in Lakh Rupees)
53	2%	1.06	Following activities at, **Village- Balenga**	
			Pavitra Van Nirman	13.742
			Total	13.742

5. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (पीपल, नीम, आम, बरगद आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 840 नग पौधों के लिए राशि 64,240 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 60,600 रूपये, खाद के लिए राशि 6,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रूपये, तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,20,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,70,840 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 10,03,456 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बालेंगा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1135, क्षेत्रफल 1.22 हेक्टेयर में से 0.40 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
6. समिति द्वारा नोट किया गया कि लीज क्षेत्र के बाहर भी उत्खनन कार्य किया गया है, परंतु परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर की सीमा पट्टी एवं बाहर का क्षेत्र पूर्व से उत्खनित है। समिति का मत है कि 7.5 मीटर की सीमा पट्टी एवं बाहर का क्षेत्र में उत्खनन कार्य किनके द्वारा किया गया है एवं उत्खनित क्षेत्र के लिए नियमानुसार कार्यवाही की गई है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से स्पष्टीकरण मांगते हुये पत्र लेख किया जाना आवश्यक है।
7. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की

अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

13. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
15. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
16. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 / 2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. प्रस्तुत के.एम.एल. अनुसार 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के बाहर उत्खनन किया जाना पाया गया है। अतः इस संबंध में क्या परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के बाहर उत्खनन किया गया है एवं अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से स्पष्टीकरण मांगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक को उक्त के संबंध में सूचित किया जाए।
2. लीज क्षेत्र का ड्रोन विडियो (Drone video) प्रस्तुत किया जाए।
3. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी जल एवं वायु स्थापना/संचालन सम्मति की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
4. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
6. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 / 2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध

में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

9. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी प्राप्त होने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एवं संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

7. **मेसर्स बालपेट (डी–2) सेण्ड क्वारी (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत बालपेट), ग्राम–बालपेट, तहसील व जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2681)**

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 445961 एवं 30/09/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	3 हेक्टेयर एवं 18,000 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक एवं नदी	पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक–599 एवं डंकनी नदी	
बैठक का विवरण	500वीं बैठक दिनांक 11/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 06/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री सतीश कुमार अटामी, सचिव उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत बालपेट दिनांक 20/09/2022	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 14/07/2023	
चिन्हांकित/सीमांकित	दिनांक 03/05/2023	
500 मीटर	दिनांक 03/05/2023	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 03/05/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत बालपेट दिनांक – 10/04/2023	जारी एल.ओ.आई. में "छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित

	वैधता अवधि – 1 वर्ष	क्षेत्र हेतु) नियम, 2023 के तहत् आवेदित भूमि में गौण खनिज साधारण रेत हेतु उत्खनन पट्टा विलेख के पंजीयन दिनांक से 05 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों के पूति हेतु यह आशय पत्र (LOI) जारी किया जा रहा है" का उल्लेख है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, दंतेवाड़ा वनमण्डल दंतेवाड़ा द्वारा जारी दिनांक 05/10/2023	प्रस्तावित क्षेत्र की सीमा से 5 कि.मी. के भीतर कोई अभ्यारण्य/राष्ट्रीय उद्यान/टाईगर रिजर्व स्थित नहीं है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम–बालपेट 300 मीटर स्कूल ग्राम–बालपेट 200 मीटर अस्पताल–द.ब. दंतेवाड़ा 5.1 कि.मी.	पुल–1.01 कि.मी.
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 131 मीटर, न्यूनतम 116 मीटर **खनन स्थल की औसत लंबाई–**460 मीटर **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 95 मीटर, न्यूनतम 50 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 57 मीटर, न्यूनतम 22 मीटर	नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़ी गई है।
खदान स्थल पर रेत की मोटाई –	स्थल पर रेत की गहराई – 2 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–30,000 घनमीटर	रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर एवं रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स –	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 29/05/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।	
वृक्षारोपण कार्य	नदी के तट पर वृक्षारोपण – 230 नग किया जाना है।	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 4,75,932 रुपये
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) –** परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

11-4-25

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
7.92	2%	0.16	Following activities at Nearby, Village- Balpet	
			Plantation in muktidham	4.00
			Total	4.00

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत मुक्तिधाम में वृक्षारोपण (पीपल, आम, जामुन, अर्जुन, कदंब, करंज आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 70 नग पौधों के लिए राशि 532 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 26,000 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 48,600 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,10,140 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,90,368 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बालपेट के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 285, क्षेत्रफल 4.57 हेक्टेयर में से 0.12 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसे समिति द्वारा अमान्य किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" हेतु ग्राम पंचायत से सहमति प्राप्त कर सी.ई.आर. कार्य हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर एवं रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" हेतु ग्राम पंचायत से सहमति प्राप्त कर सी.ई.आर. कार्य हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. नदी तट पर किये जाने वाले 1,000 नग वृक्षारोपण हेतु भूमि खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल का उल्लेख करते हुए ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. खदान क्षेत्र के आस–पास नदी तट एवं पहुंच मार्ग में सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नही है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
10. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि अनुमोदित उत्खनन योजना में दिए माईनेबल रिजर्व का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जाएगा।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि खदान में तथा खनन के दौरान सस्टेनेबल सेंड माईनिंग गाईडलाईन 2016 एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/04/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/07/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ई-मेल दिनांक 08/03/2025 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 591वीं बैठक दिनांक 10/03/2025:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर एवं रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

11-4-25

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत बालपेट के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 285, क्षेत्रफल 4.57 हेक्टेयर में से 0.12 हेक्टेयर) की जानकारी पुनः प्रस्तुत की गई है। सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" हेतु ग्राम पंचायत से सहमति प्राप्त कर यथायोग्य स्थान पर सी.ई.आर. कार्य का संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नदी तट पर किये जाने वाले 1,000 नग वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत बालपेट के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 598, क्षेत्रफल 6.9 हेक्टेयर में से 1.50 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

4. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. खदान क्षेत्र के आस–पास नदी तट एवं पहुंच मार्ग में सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं कियो जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

10. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि अनुमोदित उत्खनन योजना में दिए माईनेबल रिजर्व का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जाएगा।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान में तथा खनन के दौरान सस्टेनेबल सेंड माईनिंग गाईडलाईन 2016 एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

13. आवेदित खदान नवीन खदान है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 14/01/2025 के परिपालन में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से टिप्पणियाँ (Comments) मंगाया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः—

1. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" हेतु ग्राम पंचायत से सहमति प्राप्त कर यथायोग्य स्थान पर सी.ई.आर. कार्य का संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 14/01/2025 के परिपालन में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से परियोजना की स्थल उपयुक्तता, फिसिबिलिटी, प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के संबंध में टिप्पणियाँ (Comments) मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
3. लीज क्षेत्र का ड्रोन विडियो (Drone video) प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. **मेसर्स मीता बाफना आर्डिनरी स्टोन क्वॉरी (प्रो.— श्रीमती मीता बाफना), ग्राम—कोटेला, तहसील—चारामा, जिला—उत्तर बस्तर कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2630)**

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 440321/2023, दिनांक 14/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम—कोटेला, तहसील—चारामा, जिला—उत्तर बस्तर कांकेर स्थित खसरा क्रमांक 38, कुल क्षेत्रफल—2 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता—39,735 टन प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:—

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

11.4.25

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 492वीं बैठक दिनांक 13/10/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री यश बाफना, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक 38, कुल क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर, क्षमता–39,735 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा दिनांक 26/12/2016 को जारी की गई।
   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व–प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
   iii. समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार किये गये वृक्षारोपण के पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 2068/खनिज/ख.लि./उ.प./2002 कांकेर, दिनांक 11/10/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018–19	6,181
2019–20	2,655
2020–21	11,837
2021–22	15,642
2022–23	12,325

   समिति का मत है कि पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत से दिनांक 31/03/2018 तक किये गये उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** उत्खनन एवं क्रशर स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत कोटेला का दिनांक 23/09/2011 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना –** क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 301/खनिज/2016 दंतेवाड़ा, दिनांक 13/07/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 931/खनिज/ख.लि./उ.प.

11-4-25

/2023–24 कांकेर, दिनांक 12/05/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 1 खदान, क्षेत्रफल 1.97 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 933/खनिज/ख.लि. /उ.प./2023–24 कांकेर, दिनांक 12/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नही है। ग्रामीण मार्ग लगभग 50 मीटर की दूरी पर है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण –** यह शासकीय भूमि है। लीज श्रीमती गीता बाफना के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात दिनांक 08/10/2002 से 07/10/2032 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट –** वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./1625 कांकेर, दिनांक 26/08/2002 से जारी पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि निकटतम वन क्षेत्र से आवेदित क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी –** निकटतम आबादी ग्राम–कोटेला 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–कोटेला 1 कि.मी. एवं अस्पताल लखनपुरी 6.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6.3 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 16.4 कि.मी. दूर है। महानदी 2.5 कि.मी. दूर स्थित है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र –** परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि. मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण –** जियोलॉजिकल रिजर्व 6,63,013 टन एवं माईनेबल रिजर्व 3,29,708 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,014 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 22 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है जिसका क्षेत्रफल 1,173 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	34,357	षष्ठम	31,132
द्वितीय	34,357	सप्तम	31,132
तृतीय	34,357	अष्टम	31,132

11.4.25

चतुर्थ	31,132	नवम	31,132
पंचम	31,132	दशम	39,735

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 1,170 नग (जामुन, नीम, पीपल, कदम, शीशु, अमलतास) वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,170 नग पौधों के लिए राशि 81,900 रुपये, खाद के लिए राशि 11,700 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,76,000 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रुपये एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 36,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में राशि 6,25,600 रुपये एवं आगामी 4 वर्षो में कुल राशि 6,61,440 हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का कुल क्षेत्रफल 4,014 वर्गमीटर है, जिसमें से 1,907 वर्गमीटर क्षेत्र 12 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh

				Rupees)
40	2%	0.8	Following activities at Near by Govt. Primary School, **Village-Kotela**	
			Plantation	1,346
			Total	1,346

सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण (नीम, आम, कदम, पीपल एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,000 रुपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 29,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 35,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 99,600 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्कूल के प्रधानपाठक का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि वेस्ट मटेरियल की कुल मात्रा 16,485.4 टन में से आवश्यकता अनुसार रास्ते में मरम्मत किया जायेगा एवं अतिरिक्त यदि बचे तो खनिज विभाग के सहमति से विक्रय किया जायेगा।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा एवं इसके संरक्षण हेतु सोकपिट का निर्माण किया गया है।

20. खदान में कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु

18.4.25

परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन की कॉपी सदस्य सचिव पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्रस्तुत किया गया है।

27. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार किये गये वृक्षारोपण के पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत से दिनांक 31/03/2018 तक किये गये उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
4. निकटतम वन क्षेत्र से आवेदित क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के अंतर्गत स्कूल परिसर में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्कूल के प्रधानपाठक का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाए।
7. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।
8. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/12/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 16/07/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ई-मेल दिनांक 08/03/2025 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 591वीं बैठक दिनांक 10/03/2025:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री यश बाफना, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार किये गये वृक्षारोपण के पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 2395/खलि-1/उ.ग./न.क्र./2023 उ.ब. कांकेर, दिनांक 15/12/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2015-16	निरंक
2016-17	2,600
2017-18	2,383

समिति का मत है कि विगत वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 में किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष अनुसार) खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कांकेर वनमण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि. 2024/763 कांकेर, दिनांक 02/02/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की आकाशीय दूरी 400 मीटर है। समिति का मत है कि कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से लीज सीमा से निकटतम वनक्षेत्र, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवविविधता क्षेत्र से वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के अंतर्गत स्कूल परिसर में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्कूल के प्रधानपाठक का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. मॉडिफाईड क्वारी प्लान एलांग विथ माईन क्लोजर प्लान विथ इन्वाइयरमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 390/खा.लि.3/स्था/2024 धमतरी, दिनांक 12/07/2024 द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 10,45,896.8 टन, माईनेबल रिजर्व 3,58,090.85 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 3,40,186.30 है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,725 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 9.33 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है जिसका क्षेत्रफल 2,500 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण

11-4-25

नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्खनन (टन)
प्रथम	39,702
द्वितीय	39,702
तृतीय	39,702
चतुर्थ	39,702
पंचम	39,702

6. ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया नहीं किया गया है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी में माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के उत्खनित नहीं होने का उल्लेख है। जबकि के.एम.एल. का अवलोकन करने पर स्पष्ट रूप से 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन एवं उसके बाहर उत्खनन कार्य किया जाना पाया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. वर्ष 2023–24 एवं वर्ष 2024–25 में किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष अनुसार) खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से लीज सीमा से निकटतम वनक्षेत्र, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवविविधता क्षेत्र से वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
4. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाए।
5. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
6. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी एवं लीज क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन किया गया किये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
7. प्रस्तुत के.एम.एल. अनुसार 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के बाहर उत्खनन किया जाना पाया गया है। अतः इस संबंध में क्या परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के बाहर उत्खनन किया गया है एवं अथवा नहीं? यदि परियोजना प्रस्तावक

द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर उत्खनन किया गया हो, तो कितनी मात्रा में उत्खनन किया गया है, के संबंध में खनिज विभाग से स्पष्टीकरण एवं जानकारी मांगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक को उक्त के संबंध में सूचित किया जाए।

8. लीज क्षेत्र का ड्रोन विडियो (Drone video) प्रस्तुत किया जाए।
9. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी जल एवं वायु स्थापना/संचालन सम्मति की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एवं संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

9. मेसर्स यश बाफना आर्डिनरी स्टोन क्वॉरी (प्रो.–श्री यश बाफना), ग्राम–खैरखेड़ा, तहसील–चारामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2631)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 440331/2023, दिनांक 14/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–खैरखेड़ा, तहसील–चारामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर स्थित खसरा क्रमांक 362, कुल क्षेत्रफल–2.10 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–41,729 टन प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

11.4.25

(अ) समिति की 492वीं बैठक दिनांक 13/10/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री यश बाफना, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक 362, कुल क्षेत्रफल 2.1 हेक्टेयर, क्षमता–41,729 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा दिनांक 26/12/2016 को जारी की गई।
   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व-प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
   iii. समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार किये गये वृक्षारोपण के पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 2070/खनिज/ख.लि./उ.प./1997 कांकेर, दिनांक 11/10/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018–19	2,981
2019–20	1,080
2020–21	6,507
2021–22	16,508
2022–23	15,697

   समिति का मत है कि पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत से दिनांक 31/03/2018 तक किये गये उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, के ज्ञापन क्रमांक 300/खनिज/2016 दंतेवाड़ा, दिनांक 13/07/2016 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 935/खनिज/ख.लि./उ.प./2023-24 कांकेर, दिनांक 12/05/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 1 खदान, क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 937/खनिज/ख.लि./उ.प./2023–24 कांकेर, दिनांक 12/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार

उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 130 मीटर की दूरी पर तथा डबरी लगभग 70 मीटर की दूरी पर है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री यश बाफना के नाम पर है, लीज डीड 25 वर्षों अर्थात दिनांक 01/04/1997 से 13/03/2022 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 5 वर्षों अर्थात दिनांक 14/03/2022 से 31/03/2027 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वन मण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./स्टेनो/सामा./985 कांकेर, दिनांक 31/03/1997 से जारी पत्र अनुसार "लीज क्षेत्र से लगे हुये क्षेत्र में पूर्व में लगभग 3 या 4 वर्ष पूर्व उद्यानिकी विभाग द्वारा काजू रोपण कराया गया था। अतः काजू रोपण से संबंधित पूर्ण विवरण, संबंधित विभाग से प्राप्त करना उचित होगा एवं इस संयत्र से उड रही धुल से समीपस्थ कृषि भूमि एवं आस–पास निवास कर रहे ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है, इस संबंध में संबंधित राजस्व अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर एवं जिला स्तर पर गठित पर्यावरण दल से विचार विमर्श किया जाकर 5 वर्ष हेतु नवीनीकरण के संबंध में निर्णया लिया जाना उचित होगा" का उल्लेख है। समिति का मत है कि निकटतम वन क्षेत्र से आवेदित क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–डीपाटोला 2 कि.मी., स्कूल ग्राम–लखनपुरी 5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–लखनपुरी 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 161 मीटर दूर है। महानदी 4.3 कि.मी. दूर स्थित है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि. मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 10,66,332 टन, माईनेबल रिजर्व 4,86,080 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,497 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 836 वर्गमीटर है। जेक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

11.4.25

वर्ष	उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	33,997	षष्ठम	41,729
द्वितीय	33,997	सप्तम	41,729
तृतीय	33,997	अष्टम	41,729
चतुर्थ	30,411	नवम	41,729
पंचम	41,729	दशम	41,729

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 1,050 नग (अर्जुन, जामुन, नीम, पीपल, कदम, शीशु, अमलतास) वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,050 नग पौधों के लिए राशि 73,500 रूपये, खाद के लिए राशि 10,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,40,250 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रूपये एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 36,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में राशि 5,80,250 रूपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 6,57,600 हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,497 वर्गमीटर है, जिसमें से 2434 वर्गमीटर क्षेत्र 25 मीटर की गहराई तक एवं 2,063 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार–

   "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

   उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

10. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

11-4-25

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
42.5	2%	0.85	Following activities at Near by Govt. Primary School, Village-khairkheda	
			Plantation	1.346
			Total	1.346

सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण (नीम, आम, कदम, पीपल एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 29,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 35,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष मे कुल राशि 99,600 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्कूल के प्रधानपाठक का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि वेस्ट मटेरियल की कुल मात्रा 16,485.4 टन में से आवश्यकता अनुसार रास्ते में मरम्मत किया जायेगा एवं अतिरिक्त यदि बचे तो खनिज विभाग के सहमति से विक्रय किया जायेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा एवं इसके संरक्षण हेतु सोकपिट का निर्माण किया गया है।
19. खदान में कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन की कॉपी सदस्य सचिव पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्रस्तुत किया गया है।

26. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार किये गये वृक्षारोपण के पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत से दिनांक 31/03/2018 तक किये गये उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. उत्खनन एवं क्रशर स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाए।
4. ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
5. निकटतम वन क्षेत्र से आवेदित क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के अंतर्गत स्कूल परिसर में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्कूल के प्रधानपाठक का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाए।
8. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।
9. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा

11.4.25

खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/12/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 16/07/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ई-मेल दिनांक 08/03/2025 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(च) समिति की 591वीं बैठक दिनांक 10/03/2025:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री यश बाफना, प्रोपराइटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार किये गये वृक्षारोपण के पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 2386/खलि-1/उ.प./न.क्र./2023 उ.ब. कांकेर, दिनांक 15/12/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2015-16	22,400
2016-17	3,000
2017-18	1,500

समिति का मत है कि विगत वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 में किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष अनुसार) खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कांकेर वनमण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि. 2024/762 कांकेर, दिनांक 02/02/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की आकाशीय दूरी 500 मीटर है। समिति का मत है कि कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से लीज सीमा से निकटतम वनक्षेत्र, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवविविधता क्षेत्र से वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के अंतर्गत स्कूल परिसर में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्कूल के प्रधानपाठक का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. मॉडिफाईड क्वारी प्लान एलांग विथ माईन क्लोजर प्लान विथ इन्वाइयरमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 391/ख.लि.3/स्था/2024 धमतरी, दिनांक 12/07/2024 द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 11,55,690 टन, माईनेबल रिजर्व 4,61,082.39 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 4,38,028.27 है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी

11.4.25

(उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,727 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 11.33 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है जिसका क्षेत्रफल 836 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (टन)
प्रथम	41,691
द्वितीय	41,691
तृतीय	41,691
चतुर्थ	41,691
पंचम	39,608.4

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन एवं क्रशर स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत खैरखेड़ा द्वारा दिनांक 27/01/1997 को कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) को प्रेषित अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें पत्थर उत्खनन 10 वर्ष तक के लिए ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
7. ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया नहीं किया गया है।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन एवं लीज क्षेत्र के बाहर कोई उत्खनन कार्य नहीं किया जाना बताया गया है, इस संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 में किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष अनुसार) खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से लीज सीमा से निकटतम वनक्षेत्र, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवविविधता क्षेत्र से वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. उत्खनन एवं क्रशर स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्यवाही विवरण, दिनांक सहित प्रस्तुत किया जाए।
4. ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज क्षेत्र का ड्रोन विडियो (Drone video) प्रस्तुत किया जाए।
6. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी जल एवं वायु स्थापना/संचालन सम्मति की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

7. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी एवं लीज क्षेत्र के बाहर कोई उत्खनन किया गया है अथवा नहीं के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से निरिक्षण प्रतिवेदन मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

उपरोक्त जानकारी एवं निरिक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को तदानुसार पत्र लेख किया जाए।

10. मेसर्स चौरखेड़ा आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.–श्री मोहम्मद हनीफ), ग्राम–चौरखेड़ा, **तहसील–चारामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2635)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 440490 / 2023, दिनांक 16 / 08 / 2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–चौरखेड़, तहसील–चारामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर स्थित खसरा क्रमांक 422 एवं 430, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर मे है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–25,005 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18 / 10 / 2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 493वीं बैठक दिनांक 26 / 10 / 2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मोहम्मद हनीफ, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में स्व. श्री मोहम्मद फिरोज को साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक 422 एवं 430, कुल क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर, क्षमता–7,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा दिनांक 21 / 03 / 2017 को जारी की गई।
   ii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 297 / खनिज / उ.प. / 2011 कांकेर, दिनांक 22 / 07 / 2019 द्वारा स्व. श्री मोहम्मद फिरोज के मृत्यु के पश्चात् उनकी विधिक वारिश श्रीमती शाहीन बानो, शीतलापारा, कांकेर के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण किया गया।
   iii. राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर, अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 06 / 05 / 2022 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को श्री मोहम्मद हनीफ के नाम पर हस्तांतरित किया गया।
   iv. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत नही किया गया है।
   v. परियोजना प्रस्तावक द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर, अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 06 / 05 / 2022 द्वारा पूर्व

11-4-25

में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को श्री मोहम्मद हनीफ के नाम पर हस्तांतरित किये जाने के दौरान प्रस्तुत कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1116/खनिज/उ.प./2021–22 कांकेर, दिनांक 15/02/2022 द्वारा विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी प्रस्तुत की गई है, जो निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017–18	निरंक
2018–19	486
2019–20	593
2020–21	496
2021–22(जून तक)	156

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 2148/खनिज/ख.लि./उ.प./1997 कांकेर, दिनांक 20/10/2023 द्वारा विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी प्रस्तुत की गई है, जो निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2019–20	593
2020–21	596
2021–22	156
2022–23	992
2023–24 (सितम्बर 2023 तक)	231

समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन दिनांक 15/02/2022 द्वारा वर्ष 2020–21 में 496 घनमीटर उत्खनन किये जाने एवं कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन दिनांक 20/10/2023 द्वारा वर्ष 2020–21 में 596 घनमीटर उत्खनन किये जाने का उल्लेख है। समिति का मत है कि उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण सहित जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत खैरखेड़ा का दिनांक 24/01/2009 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति एवं लीज का हस्तांतरण किया गया है। अतः उत्खनन एवं क्रशर के संबंध में ग्राम पंचायत की अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान एलॉग विथ इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक (ख.प्र.), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1560/खनिज/उत्ख.यो.अनु./उ.प./2023–24 कांकेर, दिनांक 07/08/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 946/खनिज/ख.लि./उ.प./2023–24 कांकेर, दिनांक 16/05/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 1 खदान, क्षेत्रफल 2.1 हेक्टेयर है।

11.4.25

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 948/खनिज/ख.लि./उ.प./2023–24 कांकेर, दिनांक 16/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, पुल, अस्पताल, स्कूल, एनीकट एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 106 मीटर, डबरी 50 मीटर एवं तालाब 75 मीटर दूर है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। वर्तमान में लीज मोहम्मद हनीफ के नाम पर है। पूर्व में लीज स्व. श्री मोहम्मद फिरोज के नाम पर था जो श्रीमती शाहीन बानो के नाम पर हस्तांतरित की गई थी, तत्पश्चात लीज का हस्तांतरण दिनांक 02/11/2021 को श्री मोहम्मद हनीफ के नाम पर किया गया। लीज डीड 20 वर्षों अर्थात दिनांक 16/04/1999 से 15/04/2019 तक जारी की गई थी। तत्पश्चात् लीज 10 वर्षों अर्थात दिनांक 16/04/2019 से 15/04/2029 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र एवं राष्ट्रीय उद्यान से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–झिपाटोला 300 मीटर, स्कूल–झिपाटोला 500 मीटर एवं अस्पताल चारामा 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 106 मीटर एवं राज्यमार्ग 20 कि.मी. दूर है। तालाब 85 मीटर एवं महानदी 4.5 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 4,46,975 टन, माईनेबल रिजर्व 1,63,625 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,55,443 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,574 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 11 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,967 घनमीटर है, जिसमें से 1,042 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए एवं शेष 1,925 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को उत्खनित सीमा पट्टी के पुनःभराव हेतु उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 1,100 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग

11-4-25

किया किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	20,250
द्वितीय	21,270
तृतीय	23,160
चतुर्थ	24,255
पंचम	25,005

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति भू-जल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी एवं गैर माईनिंग क्षेत्र में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 70,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 4,00,000 रूपये, खाद के लिए राशि 10,000 रूपये, सिंचाई एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 12,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 4,92,000 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 80,000 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 6,574 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 550 वर्गमीटर क्षेत्र 3.5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। उत्खनित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनःभराव प्लान (Restoration plan) का उल्लेख अनुमोदित क्वॉरी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – माईनिंग प्लान अनुसार लीज क्षेत्र मे ऑफिस व स्टोरेज हेतु 900 वर्गमीटर एवं संकीर्ण क्षेत्र होने के कारण 300 वर्गमीटर को गैर–माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
48.63	2%	97.26	Following activities at Nearby Government Primary School, **Village- Shitlapara Jhipatola**	
			Plantation with fencing	0.54
			Running Water Facility for toilets	0.45
			Total	**0.99**

18. सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण एवं रनिंग वॉटर फेसलिटी हेतु शासकीय प्राथमिक शाला शीतलापारा, ग्राम–झिपाटोला के प्रधान पाठक का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

19. सी.ई.आर. के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला शीतलापारा, ग्राम–झिपाटोला में (नीम, पीपल, आम, कदम, जामुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 40 नग पौधों के लिए राशि 2,800 रूपये, चैन लिंक फेंसिंग के लिए राशि 19,200 रूपये, खाद के लिए राशि 400 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 6,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 28,400 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 25,280 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन दिनांक 15/02/2022 द्वारा वर्ष 2020–21 में 496 घनमीटर उत्खनन किये जाने एवं कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन दिनांक 20/10/2023 द्वारा वर्ष 2020–21 में 596 घनमीटर उत्खनन किये जाने का उल्लेख है। अतः उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।

3. उत्खनन एवं क्रशर के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

4. आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र एवं राष्ट्रीय उद्यान से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

5. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

6. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

7. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रपोजल की राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए प्रपोजल में ही खर्च किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

8. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

9. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

11.4.25

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नही है।

15. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

16. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114/2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/10/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 26/10/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ई-मेल दिनांक 08/03/2025 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 591वीं बैठक दिनांक 10/03/2025:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मोहम्मद हनीफ, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक 678, दिनांक 29/08/2024 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार सभी शर्तों का पूर्ण पालन किया जाना बताया गया है।

2. कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन दिनांक 15/02/2022 द्वारा वर्ष 2020-21 में 496 घनमीटर उत्खनन किये जाने एवं कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन दिनांक 20/10/2023 द्वारा वर्ष 2020-21 में 596 घनमीटर उत्खनन किये जाने का उल्लेख है।

   उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण करते हुये कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 408, दिनांक 27/02/2024 द्वारा विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी प्रस्तुत की गई है, जो निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2019-20	366
2020-21	306
2021-22	524
2022-23	992
2023-24 (जनवरी 2024 तक)	275

समिति का मत है कि वर्ष 2023–24 एवं वर्ष 2024–25 में किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष अनुसार) खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. उत्खनन एवं क्रशर के संबंध में ग्राम पंचायत खैरखेड़ा का दिनांक 20/11/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि. 2024/1949 कांकेर, दिनांक 14/03/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र 500 मीटर की दूरी पर है। समिति का मत है कि कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से लीज सीमा से निकटतम वनक्षेत्र, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवविविधता क्षेत्र से वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रपोजल की राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए प्रपोजल में ही खर्च किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

11-4-25

13. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा। इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. समिति द्वारा नोट किया गया कि लीज क्षेत्र के बाहर भी उत्खनन कार्य किया गया है। समिति का मत है कि 7.5 मीटर की सीमा पट्टी एवं बाहर का क्षेत्र में उत्खनन कार्य किनके द्वारा किया गया है एवं उत्खनित क्षेत्र के लिए नियमानुसार कार्यवाही की गई है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से स्पष्टीकरण मांगते हुये पत्र लेख किया जाना आवश्यक है।

15. लीज क्षेत्र के अंदर क्रशर स्थापित किया गया उक्त के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी जल एवं वायु स्थापना सम्मति की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः—

1. वर्ष 2023—24 एवं वर्ष 2024—25 मे किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष अनुसार) खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से लीज सीमा से निकटतम वनक्षेत्र, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवविविधता क्षेत्र से वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तुत के.एम.एल. अनुसार 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के बाहर उत्खनन किया जाना पाया गया है। अतः इस संबंध में क्या परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के बाहर उत्खनन किया गया है एवं अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से स्पष्टीकरण मांगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक को उक्त के संबंध में सूचित किया जाए।
5. लीज क्षेत्र का ड्रोन विडियो (Drone video) प्रस्तुत किया जाए।
6. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा खनन एवं क्रशर हेतु जारी जल एवं वायु स्थापना/संचालन सम्मति की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
7. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित

कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

8. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी एवं लीज क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एवं संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

11. मेसर्स धर्मेंद्र चोपड़ा (टेकाढोढ़ा ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी), ग्राम–टेकाढोढ़ा, तहसील–भानुप्रतापपुर, जिला–कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1704)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 214986 / 2021, दिनांक 12 / 06 / 2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 20 / 07 / 2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 07 / 08 / 2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–टेकाढोढ़ा, तहसील–भानुप्रतापपुर, जिला–कांकेर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 11, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–12,000 टन (6,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 28 / 08 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 386वीं बैठक दिनांक 01 / 09 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विवेक श्रीवास्तव, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कच्चे का दिनांक 16 / 03 / 2002 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान (एलांग विथ इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 430 / खनि.लि. / खनिज / 2018–19 बालोद, दिनांक 20 / 08 / 2019 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1097/खनिज/उ.प./2019–20 कांकेर, दिनांक 25/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1096/खनिज/ उ.प. /2019–20 कांकेर, दिनांक 25/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री धर्मेंद्र चोपड़ा के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 01/05/2002 से 30/04/2012 तक थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त उत्खनिपट्टा में उत्खनन कार्य वर्ष, 2004 से वर्तमान दिनांक तक उत्खनन कार्य नहीं किया गया है तथा दिनांक 08/05/2018 को माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के आदेश उपरांत उत्खनन कार्य वर्तमान दिनांक तक बंद होना बताया गया एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत पट्टा विस्तारीकरण हेतु अनुबंध निष्पादन के बाद ही उक्त उत्खनिपट्टे में उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल, भानुप्रतापपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2344 भानुप्रतापपुर, दिनांक 03/04/2002 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–टेका ढोड़ा 0.26 कि.मी., स्कूल ग्राम–टेकाढोड़ा 0.5 कि.मी. एवं अस्पताल कच्चे 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 32 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.26 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि. मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 4,48,000 टन (2,40,000 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व लगभग 3,22,632 टन (1,61,316 घनमीटर) एवं रिकव्हरेबल रिजर्व लगभग 3,06,500 टन (1,53,250 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,258 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 26 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया

जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	12,000
द्वितीय	12,000
तृतीय	12,000
चतुर्थ	12,000
पंचम	12,000

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत से टैंकर के माध्यम से की जाएगी। जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र में 10 नग अवस्थित पेड़ो को उत्खनन कार्य के दौरान यथासंभव नहीं काटा जाएगा। यदि आवश्यकता होने पर वृक्षों की कटाई हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही की जाएगी। इस बावत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी के संबंध में वन विभाग द्वारा अक्षमता प्रकट की गई। इस संबंध में समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी कार्यालय वनमण्डलाधिकारी भानुप्रतापपुर एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक से जानकारी/दस्तावेज मंगाये जाने का निर्णय लिया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं कार्यालय वनमण्डलाधिकारी भानुप्रतापपुर को अनुरोध किया जाए।
2. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/03/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 29/03/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 30/03/2022:

11.4.25

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर स्थिति पाई गई कि:–

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी भानुप्रतापपुर से लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पेयजल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी द्वारा दिनांक 27/01/2022 द्वारा 4 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु अनुमति दी गई है। समिति का मत है कि पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाना बताया गया था। अतः जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी भानुप्रतापपुर से लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।
2. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/05/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 17/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 16/11/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल, भानुप्रतापपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2344 भानुप्रतापपुर, दिनांक 03/04/2002 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि कार्यालय वनमण्डलाधिकारी भानुप्रतापपुर से लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत से टैंकर के माध्यम से किया जाना बताया गया है। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,000 नग पौधों के लिए राशि 90,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 25,000 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 1,00,000 रूपये, तथा रख–रखाव

आदि के लिए राशि 1,20,000 रूपये, आगामी 5 वर्ष में कुल राशि 3,35,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Government School **Village-Awaspara Salhe**	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Plantation with fencing	0.20
			Total	**0.60**

5. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में (नीम एवं आम) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 18,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 10,000 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 25,000 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 60,000 रूपये, इस प्रकार आगामी 5 वर्ष में कुल राशि 1,13,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी भानुप्रतापपुर से लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत से टैंकर के माध्यम से लिया जाना है अथवा नहीं? के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/01/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 31/03/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(द) समिति की 484वीं बैठक दिनांक 11/05/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

11.4.25

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निकटतम वन क्षेत्र हेतु टोपोशीट प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि उक्त टोपोशीट से आवेदित खदान क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की सीमा की वास्तविक दूरी प्रमाणित नहीं होती है। अतः कार्यालय वनमण्डलाधिकारी भानुप्रतापपुर से लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी अद्यतन प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्पष्टिकरण प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पंचायत से जल की आपूर्ति नहीं की जाएगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर पूर्व में ही प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को कार्यालय वनमण्डलाधिकारी भानुप्रतापपुर से लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी अद्यतन प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/07/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 09/10/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ई–मेल दिनांक 08/03/2025 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(इ) समिति की 591वीं बैठक दिनांक 10/03/2025:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री धर्मेंद्र चोपड़ा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में जारी कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल, भानुप्रतापपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2344 भानुप्रतापपुर, दिनांक 03/04/2002 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि निकटतम वन क्षेत्र हेतु अद्यतन प्रमाण पत्र कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से प्राप्त नहीं किया जा पा रहा है। समिति का मत है कि प्रधान, मुख्य वन संरक्षक (वन विभाग) को लीज सीमा से निकटतम वनक्षेत्र, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवविविधता क्षेत्र से वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र मंगाया जाना आवश्यक है।
2. समिति द्वारा नोट किया गया कि वर्तमान में प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान की वैधता समाप्त हो चुकी है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान की वैध प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. परियोजना प्रस्तावक को लीज डीड की वैध अनुबंध की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन प्रमाणित जानकारी के संबंध में निरीक्षण कर प्रतिवेदन एवं उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष अनुसार) प्रेषित किये जाने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाना आवश्यक है।

11.4.25

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः-

1. आवेदित खदान की लीज सीमा से निकटतम वनक्षेत्र, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवविविधता क्षेत्र से वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रधान, मुख्य वन संरक्षक (वन विभाग) को पत्र लेख किया जाए। साथ ही उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाए।
2. वर्तमान में प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान की वैधता समाप्त हो चुकी है। अनुमोदित माईनिंग प्लान की वैध प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज डीड की वैध अनुबंध की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
4. विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन प्रमाणित जानकारी के संबंध में निरीक्षण कर प्रतिवेदन एवं उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष अनुसार) प्रेषित किये जाने बाबत् खनिज विभाग को पत्र लेख किया जाए।
5. लीज क्षेत्र का ड्रोन विडियो (Drone video) प्रस्तुत किया जाए।
6. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी जल एवं वायु स्थापना/संचालन सम्मति की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। प्रधान, मुख्य वन संरक्षक (वन विभाग) एवं संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

12. **मेसर्स आर एस इंटरप्राईजेस आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री अंकित बजाज एवं श्री सचिन गिदलानी), ग्राम-कुर्रुभाट, तहसील-चारामा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2655)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 442411/ 2023, दिनांक 30/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम-कुर्रुभाट, तहसील-चारामा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर स्थित खसरा क्रमांक 1125, कुल क्षेत्रफल-1.97 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-59,527.5 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 494वीं बैठक दिनांक 27/10/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सचिन गिदलानी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः-**

   i. पूर्व में पत्थर खदान खसरा क्रमांक 1125, कुल क्षेत्रफल-1.97 हेक्टेयर, क्षमता-5,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण

समाधान निर्धारण प्राधिकरण, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा दिनांक 26/12/2016 को जारी की गई।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. वर्तमान में 300 नग वृक्षारोपण किया गया है। समिति का मत है कि निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण कर साथ ही पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुए फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 2146/खनिज/ख.लि./उ.प./1997 कांकेर, दिनांक 20/10/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2019–20	35
2020–21	155
2021–22	400
2022–23	390
2023–24 (सितंबर 2023) तक	160

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कुर्रुभाट का दिनांक 30/11/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान एलॉग विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक (ख.प्र.), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1630/खनिज/उत्ख.यो.अनु./उ.प./2023–24 कांकेर, दिनांक 18/08/2023 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1662/ खनिज/ उ.प./ 2023–24 कांकेर, दिनांक 25/08/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1660/ खनिज/ उ.प./ 2023–24 कांकेर, दिनांक 25/08/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। ग्रामीण मार्ग 130 मीटर दूर है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज मेसर्स आर. एस. इंटरप्राईजेस के नाम पर थी। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 08/01/2003 से

11.4.25

07/01/2013 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 08/01/2013 से 07/01/2033 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2570/कांकेर, दिनांक 03/12/2002 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार आवेदित क्षेत्र के अंतर्गत 7 नग कुसुम एवं 1 नग साजा वृक्ष है। समिति का मत है कि आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन सीमा से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कुर्सेभाट 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–कुर्सेभाट 1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–चारामा 18 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कि.मी. दूर है। महानदी 2.2 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 9,24,196 टन, माईनेबल रिजर्व 2,71,816 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 2,58,225 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,900 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 24 मीटर (हिल लॉक 6 मीटर एवं 18 मीटर सतही गहराई) है। लीज क्षेत्र में लैटेराईट मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 4,518 घनमीटर है, जिसमें से 918 घनमीटर लैटेराईट मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग एवं शेष 3,540 घनमीटर ऊपरी मिट्टी का उपयोग 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) में उत्खनित भाग के पुनःभराव हेतु किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष से अधिक है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 1,300 वर्गमीटर है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम्	45,787.5
द्वितीय	59,527.5
तृतीय	49,710
चतुर्थ	57,525
पंचम्	59,250

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 50,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 4,00,000 रूपये, खाद के लिए राशि 10,000 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 32,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 4,92,000 रूपये एवं रख–रखाव के लिए आगामी 4 वर्ष तक राशि 80,000 रूपये प्रतिवर्ष हेतु व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का क्षेत्रफल 6,900 वर्गमीटर है जिसमें से 1,180 वर्गमीटर क्षेत्र 3 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु विस्तृत रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

    "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

    उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्रफल** – लीज क्षेत्र में 2,494 वर्गमीटर क्षेत्र को संकीर्ण क्षेत्र होने तथा 1,300 वर्गमीटर क्षेत्र में क्रशर होने के कारण गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
41.05	2%	0.821	Following activities at nearby **Village- Kurrubhat**	

			Drinking Water Purifier in School with 5 years maintenance	0.6
			Plantation in School Campus	0.4
			Total	1.0

1. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल में (नीम, आम, जामुन, कदम, पीपल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नग पौधों के लिए राशि 2,500 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 24,000 रुपये, खाद के लिए राशि 500 रुपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 7,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 34,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 25,600 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन सीमा से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण कर पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुए फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. उत्खनित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनःभराव प्लान (Restoration plan) प्रस्तुत किया जाए।
5. कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

12. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized underlaking) प्रस्तुत किया जाए।

13. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/12/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 11/09/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ई-मेल दिनांक 08/03/2025 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 591वीं बैठक दिनांक 10/03/2025:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सचिन गिदलानी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक 676, दिनांक 29/08/2024 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार सभी शर्तों का पूर्ण पालन किया जाना बताया गया है।

2. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि. 2024/1947 कांकेर, दिनांक 14/03/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र 300 मीटर की दूरी पर है। समिति का मत है कि कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से लीज सीमा से निकटतम वनक्षेत्र, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवविविधता क्षेत्र से वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण कर पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुए फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

4. उत्खनित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनःभराव प्लान (Restoration plan) करने के लिए 3,540 घनमीटर की शीर्ष लैटेराइट मिट्टी का उपयोग 3 मीटर की गहराई पर उत्खनित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी (1,180 वर्गमीटर) को पुनःभराव करने के लिए

किया जाएगा, शेष 978 घनमीटर ओव्हर बर्डन को वृक्षारोपण के लिए 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में 1.0 मीटर तक ऊंचाई 0.69 हेक्टेयर क्षेत्र में भण्डारित किया जाएगा।

5. कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लरों द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

12. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र में आवेदित खदान का खसरा क्रमांक का उल्लेख नहीं है। समिति का मत है कि ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र में खसरा उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 में किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष अनुसार) खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र में दूरी का उल्लेख नहीं है। अतः समिति का मत है कि कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से लीज

सीमा से निकटतम वनक्षेत्र, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवविविधता क्षेत्र से वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. परियोजना प्रस्तावक को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के मिट्टी के कटाव रोकने के लिए गारलेण्ड ड्रेन का निर्माण किया जाना आवश्यक है। उक्त के संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. में ड्रिंकिंग वाटर फेसिलिटी हेतु 60,000/– रूपये का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, प्रस्तुत प्रस्ताव में खर्चवार विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. मे ड्रिंकिंग वाटर फेसिलिटी हेतु 60,000/– रूपये का प्रस्ताव का खर्चवार विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. परियोजना प्रस्तावक को शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना होगा कि पर्यावरणीय स्वीकृति उपरांत 35,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक का उत्खनन नहीं किया जाएगा।

20. समिति द्वारा नोट किया गया कि लीज क्षेत्र के बाहर भी उत्खनन कार्य किया गया है। समिति का मत है कि 7.5 मीटर की सीमा पट्टी एवं बाहर का क्षेत्र में उत्खनन कार्य किनके द्वारा किया गया है एवं उत्खनित क्षेत्र के लिए नियामानुसार कार्यवाही की गई है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से स्पष्टीकरण मांगते हुये पत्र लेख किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र में खसरा उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।
2. वर्ष 2023–24 एवं वर्ष 2024–25 में किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष अनुसार) खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से लीज सीमा से निकटतम वनक्षेत्र, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवविविधता क्षेत्र से वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के मिट्टी के कटाव रोकने के लिए गारलेण्ड ड्रेन का निर्माण किया जाए। उक्त के संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति उपरांत 35,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक का उत्खनन नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. सी.ई.आर. में ड्रिंकिंग वाटर फेसिलिटी हेतु 60,000/– रूपये का खर्चवार विवरण प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र का ड्रोन विडियो (Drone video) प्रस्तुत किया जाए।

11-4-25

8. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी जल एवं वायु स्थापना/संचालन सम्मति की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

9. प्रस्तुत के.एम.एल. अनुसार 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के बाहर उत्खनन किया जाना पाया गया है। अतः इस संबंध में क्या परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के बाहर उत्खनन किया गया है एवं अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से स्पष्टीकरण मांगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक को उक्त के संबंध में सूचित किया जाए।

10. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बावत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

11. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी एवं लीज क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

श्री जयसिंह म्हरके	अध्यक्ष एस.ई.ए.सी.–3 छत्तीसगढ़	11-4-25
डॉ. विकास कुमार जैन	सदस्य एस.ई.ए.सी.–3 छत्तीसगढ़	
श्री रमाशंकर मिश्रा	सदस्य एस.ई.ए.सी.–3 छत्तीसगढ़	
डॉ. अजय विक्रम अहिरवार	सदस्य एस.ई.ए.सी.–3 छत्तीसगढ़	
श्री समीर स्वरूप	सदस्य एस.ई.ए.सी.–3 छत्तीसगढ़	
श्री कलदियुस तिर्की	सदस्य सचिव एस.ई.ए.सी.–3 छत्तीसगढ़	